

"विज्ञापित पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जो. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. सं. भिराई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226 (द-3) |

रायपुर, मंगलवार दिनांक 9 सितम्बर 2003-भाद्र 18, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, डाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2003

क्रमांक 5575/21-अ/प्रारूपण/03.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित आधेनियम, जिस पर दिनांक 3-9-2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. वी. बाजपेयी, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 16 सन् 2003)

छत्तीसगढ़ वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 2003

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमियों पर कि या उनके पार्श्वस्थ निवास गृहों और स्थलों के बारे में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने के उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के विधान मण्डल द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार,
लगू होना तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 16 सन् 2003) है;

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है;

(3) यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को लागू होगा;

(4) यह 21 मई, 2003 से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में, जब तब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "कृषि भूमि" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी ऐसी भूमि जो कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई उपखण्ड अधिकारी या कोई अन्य सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जिसे प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर द्वारा ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो कि विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है;

(ग) "निवासगृह" के अंतर्गत झोपड़ी सम्मिलित है;

(घ) "वासस्थान" से अभिप्रेत है कृषि भूमि पर स्थित या उसके पार्श्वस्थ कोई निवास स्थान जो अपने आप में पूर्ण है और जो उसी कुटुम्ब के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के शामलाती हिस्सेदारी नहीं है उसके अंतर्गत ऐसे निवासगृह से उपावद्ध या उसके संबद्ध प्रांगण, अहाता, उद्यान, पूजा का स्थान, कौटुम्बिक कब्रिस्तान, तालाब, कुआं, शौचालय, संडास, नाली तथा अहाते की दीवार आती है, जो 21 मई, 2003 को भूमिहीन व्यक्ति के वारत्तविक भौतिक कब्जे में है;

(ङ) "भूमिहीन व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति या उसका कुटुम्ब जो कोई भूमि या निवासगृह धारण नहीं करता है;

(च) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है पत्नी, पुत्र, पुत्री, किसी पुत्र या पुत्री के पारंपरिक वंशज तथा भूमिहीन व्यक्ति पर आश्रित कुलवंश या विवाह द्वारा सम्बद्ध नातेदार;

(छ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होंगे जो कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जिसे आगे भू-राजस्व संहिता कहा जाएगा) में उनके लिए दिए गये हैं.

यह अधिनियम ऐसे वासस्थान को लागू नहीं होगा :-

3. (1) जो किसी स्थानीय प्राधिकार या धार्मिक विन्यास से संबंधित हो या निजी वागान या फलोद्यान पर अवस्थित हो, या
- (2) जो किसी अनुसूचित जाति से संबंधित हो और 21 मई, 2003 को ऐसे व्यक्ति के कब्जे में हो जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, या
- (3) अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो और ऐसे व्यक्ति के 21 मई, 2003 को कब्जे में हो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है.

अधिनियम का कतिपय वासस्थानों को लागू नहीं होना.

स्पष्टीकरण.—(1) अनुसूचित जाति के सदस्य से आशय ऐसी किसी जाति, मूलवंश या जनजाति या भाग या समूह जो जाति, मूलवंश या जनजाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है.

(2) अनुसूचित जनजाति के सदस्य से आशय ऐसी किसी जनजाति या जनजाति समुदाय या जनजाति के अंतर्गत समूह या जनजाति समुदाय जो अनुसूचित जनजाति के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है.

4. (1) किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी कृषि भूमि या उसके पार्श्व का कोई ऐसा वासस्थान, जो 21 मई, 2003 को किसी भूमिहीन व्यक्ति के दखल में है उक्त तारीख को ऐसे भूमिहीन व्यक्ति में,

वासस्थानों का निहित होना.

भूमिस्वामी अधिकारों में निहित हुआ समझा जायेगा बशर्तें वह वासस्थान उस तारीख के पूर्व, एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक उसके कब्जे में रहा हो.

- (2) भूमिहीन व्यक्ति में इस प्रकार वासस्थान के निहित हो जाने पर, मूल भू-धारी वासस्थान में समाविष्ट क्षेत्र का भूमिस्वामी नहीं रह जायेगा.

5. यदि वासस्थान के किसी ऐसे भूमिस्वामी दखलकार को ऐसे वासस्थान या उसके भाग से विधि के सम्यक् अनुक्रम के अन्यथा बेदखल कर दिया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी, वासस्थान के उक्त दखलकार द्वारा, बेदखली की तारीख से छः मास के भीतर आवेदन किया जाने पर, भू-राजस्व संहिता की धारा 250 में अधिकथित प्रक्रिया का यथाशक्य निकटतम अनुसरण करके उसका कब्जा प्रत्यावर्तित कर देगा तथा क्षतिपूर्ति अधिनिर्णित करेगा.

कब्जे का प्रत्यावर्तन.

6. भू-राजस्व संहिता की धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अपील जिले के कलेक्टर को होगी.

प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील.

7. कलेक्टर द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा, सिवाय इसके कि राजस्व मण्डल, किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर कलेक्टर द्वारा पारित किये गये किसी ऐसे आदेश की वैधता अथवा उसके औचित्य के बारे में अथवा प्राधिकृत अधिकारी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में, अपना समाधान करने के प्रयोजन से किसी ऐसे मामले का जो ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित है या ऐसे अधिकारी द्वारा निपटाया जा चुका है अभिलेख भंगा सकेगा और उसका

पुनरीक्षण.

परीक्षण कर सकेगा तथा उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे परन्तु-

(एक) इस अधिनियम के अधीन अपील योग्य किसी आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन ग्राह्य नहीं होगा;

(दो) ऐसा कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व मण्डल के समक्ष पेश न किया गया हो और पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जायेगा जो उक्त आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो;

(तीन) पुनरीक्षण में किसी आदेश में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा या उसे तब तक उल्टा नहीं जायेगा जब तक कि हितवद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो.

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 से घूट.

8. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (क्र. 7 सन् 1870) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक आवेदन या पुनरीक्षण के किसी आवेदन पर 10 रुपये की कोर्ट फीस स्टाम्प लगेगा और प्राधिकृत अधिकारी या कलेक्टर द्वारा पारित किये गये आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जायेगी.

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.

9. किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले में, जिसके विनिश्चय के लिए विशिष्ट मंच तथा प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा विहित की गई है, कोई वाद ग्रहण करने या किसी वाद का विचारण करने या कोई अंतरिम व्यादेश पारित करने की अधिकारिता नहीं होगी.

नियम बनाने की शक्ति.

10. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उसमें से किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये कोई भी नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर, 2003

क्रमांक 5575/21-अ/प्रारूपण/03.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ वासरथान दखलकार (भूमिसवामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 2003 (क्र. 16 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. वी. बाजपेयी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2003)

**THE CHHATTISGARH VAS-STHAN DAKHALKAR (BHUMISWAMI ADHIKARON
KA PRADAN KIYA JANA) ACT, 2003**

An Act to provide for conferring Bhumiswami rights on landless persons in respect of dwelling house and sites on or appurtenant to agricultural lands in non-urban areas in the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty fourth year of the Republic of India as follows :-

- | | |
|---|---|
| <p>1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 2003 (No. 16 of 2003);</p> <p>(2) It extends to the whole of Chhattisgarh;</p> <p>(3) It shall apply to all non-urban areas in the State of Chhattisgarh;</p> <p>(4) It shall come into force from 21st of May, 2003.</p> | <p>Short title, extent, application and commencement.</p> |
| <p>2. In this Act unless the context otherwise requires-</p> <p>(a) "agricultural land" means any land in non-urban area used for the purpose of agriculture;</p> <p>(b) "authorised officer" means a Sub Divisional Officer or any other Assistant Collector or Deputy Collector specially authorised by the Collector in this behalf to exercise the powers of the authorised officer for such areas as may be specified;</p> <p>(c) "dwelling house" includes a hut;</p> <p>(d) "homestead" means a dwelling house situated on or appurtenant to an agricultural land which is complete in itself and is not shared with any person other than a person belonging to the same family and includes any courtyard, compound, garden, place of worship, family grave-yard, tank, well, privy, latrine, drain and boundary wall annexed to or appertaining to such dwelling house and in actual physical possession of the landless person on the 21st day of May, 2003;</p> <p>(e) "landless person" means a person or any of his family members, who do not hold any land or dwelling house;</p> <p>(f) "family" means wife, son, daughter, any lineal descendant of any son or daughter and a relation by blood or marriage dependant upon such landless person;</p> <p>(g) words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as Land Revenue Code).</p> | <p>Definitions.</p> |
| <p>3. This Act shall not apply to the homestead-</p> <p>(i) belonging to any local authority and religious endowment or situated on the private groves or orchards; or</p> | <p>Act not to apply to certain homestead.</p> |

- (II) belonging to a member of Scheduled Castes and is in occupation on the 21st day of May, 2003 by a member not belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes; or
- (III) belonging to a member of Scheduled Tribes and is in occupation on the 21st day of May, 2003 by a member not belonging to such Tribes.

Explanation-In this section.— (1) "Member of the Scheduled Castes" means a member of any castes, races or tribes or parts or groups within castes, races or tribes specified as Scheduled Castes under Article 341 of the Constitution of India in relation to the State of Chhattisgarh.

(2) "Member of the Scheduled Tribes" means a member of any tribes, or tribal communities or parts of or group within tribes or tribal communities specified as Scheduled Tribes under Article 342 of the Constitution of India in relation to the State of Chhattisgarh.

Vesting of homestead.

4. (1) In any non-urban area, homestead occupied by a landless person in or appurtenant to an agricultural land on the 21st day of May, 2003 shall on the said date be deemed to have vested in him Bhumiswami rights provided he had been in possession thereof for one year or more prior to that date.
- (2) On such vesting of the homestead in the landless person, the original tenure holder shall cease to be a Bhumiswami of the area comprised in the homestead.

Restoration of possession.

5. If such a Bhumiswami occupant of a homestead is dispossessed otherwise than in due course of law, from such homestead or part thereof, the authorised officer shall, on an application made by the said occupant of the homestead, within six months from the date of eviction after following as nearly as may be the procedure laid down under section 250 of the Land Revenue Code, restore his possession and award compensation.

Appeal against the order of authorised officer.

6. Notwithstanding anything contained in section 56 of the Land Revenue Code, an appeal against the order passed by authorised officer shall lie to the Collector of the district.

Revision.

7. The order passed by the Collector shall be final except that the Board of Revenue may at any time on its own motion or on the application made by any party for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed by the Collector or as to the regularity of the proceedings of the authorised officer call for and examine the record of any case pending before, or disposed of by such officer and may pass such order in reference thereto as it may think fit.

Provided that—

- (i) no application for revision shall be entertained against an order appealable under this Act;
- (ii) no such application shall be entertained unless presented within ninety days

to the Board of Revenue from the date of the order and in computing the period aforesaid, time requisite for obtaining a copy of the said order shall be excluded;

(iii) no order shall be varied or reversed in revision unless notice has been served on the parties interested and opportunity given to them of being heard.

- | | | |
|-----|---|---|
| 8. | Notwithstanding anything contained in the Court Fees Act, 1870 (No. 7 of 1870), every application or memorandum of appeal, or an application for revision under this Act, shall bear a court fee stamp of Rs. 10 and the copy of the order passed by the authorised officer or Collector shall be granted free of cost. | Exemption from Court Fees Act, 1870. |
| 9. | No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or try any dispute or pass any interim injunction, in a matter for the decision of which the specific forum and procedure has been prescribed by this Act. | Bar to the jurisdiction of Civil Court. |
| 10. | (1) The State Government may make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.

(2) Any rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly. | Power to make rules. |

